

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तैतालीस'

[18/7/2016]

प्रश्न सं. [क. 477]

मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-12-03/2015/25-2/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/07/2015

✓
आयुक्त,
आदिवासी विकास मध्यप्रदेश
भोपाल ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु 20 नवीन प्री0 मैट्रिक छात्रावास (50 सीटर) खोलने
बाबत ।

संदर्भ:- आपकी यू0ओ0 टीप क्रमांक-14844 दिनांक 14/07/2015

राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 20 नवीन प्री0 मैट्रिक छात्रावास
(50 सीटर) खोलने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

सं.क्र.	जिले का नाम	विकास खण्ड	स्थान	बालक/कन्या
1	झाबुआ	मेघनगर	चैनपुरा	कन्या
2	धार	सरदारपुर	राजीद	कन्या
3	सीहोर	नसरुल्लागंज	लाइकुई	कन्या
4	रतलाम	सैलाना	बेड़दा	कन्या
5	सागर	केसली	केसली	कन्या
6	सिवनी	कुरई	दुरिया	बालक
7	हरदा	टिमरनी	टिमरनी	कन्या
8	खण्डवा	छैगांव माखन	छैगांव माखन	बालक
9	जबलपुर	मुण्डल	बडकुर	बालक
10	सीधी	मझौली	बकवा	बालक
11	सिंगरौली	देवसर	धौहनी	बालक
12	टीकमगढ़	पलेरा :	जेवर	कन्या
13	बालाघाट	वारासिवनी	झालीवाड़ा	कन्या
14	मण्डला	नैनपुर	पाठा सिहोरा	बालक
15	छिन्दवाड़ा	बिछुआ	चौरई	कन्या
16	रीवा	महगंज	फरहदा	
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	निरिचतपुर	बालक
18	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	पोडकी	कन्या
19	उमरिया	करकेली	बिलासपुर	
20	शहडोल	बुढार	टेंगा	

सहायक सचालक
आयुक्त, आदिवासी विकास
भोपाल (मध्यप्रदेश)

2/ उपरोक्त व्यवस्था मा-4 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277-शिक्षा 0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजन 1398 छात्रावास/आश्रमों का संचालन-34 सामग्री एवं पूर्तियां-009 अन्य वर्ष 2015-16 व अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मीनाक्षी मालवीय)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक /07/2015

पृ0क्रमांक एफ-12-03/2015/25-2

प्रतिलिपि-

- 1- निज सचिव, माननीय मंत्री राज्य मंत्री, म0प्र0 शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल ।
 - 2- निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल
 - 3- महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वाजियर ।
 - 4- आयुक्त, कोष एवं लेखा, प्वास भवन भोपाल ।
 - 5- वित्तीय सलाहकार, म0प्र0 शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल ।
 - 6- कलेक्टर, जिला झाबुआ, धार, रतलाम, सागर, सिवनी, खण्डवा, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मण्डला, छिन्दवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, उमरिया शहडोल, सीहोर, हरदा टीकमगढ़ एवं रीवा (मध्यप्रदेश)
 - 7- सहायक आयुक्त, आदिवास, जिला झाबुआ, धार, रतलाम, सागर, सिवनी, खण्डवा, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मण्डला, छिन्दवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, उमरिया शहडोल (मध्यप्रदेश)
 - 8- जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, सीहोर, हरदा, टीकमगढ़ एवं रीवा (मध्यप्रदेश)
 - 9- जिला कोषालय अधिकारी, जिला झाबुआ, धार, रतलाम, सागर, सिवनी, खण्डवा, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मण्डला, छिन्दवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, उमरिया शहडोल, सीहोर, हरदा टीकमगढ़ एवं रीवा (मध्यप्रदेश)
 - 10- गार्ड फाईल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग



आयुक्त
भोपाल (मध्यप्रदेश)

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास,

मध्य प्रदेश

सं. क्रमांक / छात्रावास / 589 / 2015 / 17496

भोपाल, दिनांक 7/8/15

सं. क्रमांक / छात्रावास / 589 / 2015 / 17496

1. प्रोफेक्टर, झाबुआ, धार, रतलाम, सागर, सिवनी, खण्डवा, जबलपुर सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मण्डला, छिंदवाडा, बैतूल, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीहोर, हरदा, टीकमगढ़ एवं रीवा (म.प्र.)
 2. संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल एवं भोपाल (म.प्र.)
 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, झाबुआ, धार, रतलाम, सागर, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मण्डला, छिंदवाडा, बैतूल, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल (म.प्र.)
 4. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, सीहोर, हरदा, टीकमगढ़ एवं रीवा (म.प्र.)
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त, आदिवासी विकास
भोपाल (मध्यप्रदेश)

उप आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश